न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

<u>बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.</u>

<u>राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 10/2021</u>

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री छगन पुत्र श्री रामा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री दिनेश पुत्र श्री रामा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री मोती पुत्र श्री रामा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री रता पुत्र श्री रामा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. सुश्री पावली पुत्री श्री रामा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्री धुला पुत्र श्री मेगा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
7. श्री लाडू पुत्र श्री मेगा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका के कायम मुकाम–
   7.1 श्रीमती भूरी पत्नि स्व. श्री लाडू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   7.2 श्री करमाराम पुत्र स्व. श्री लाडू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   7.3 श्री राजू पुत्र स्व. श्री लाडू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   7.4 सुश्री चम्पा पुत्री स्व. श्री लाडू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
8. श्रीमती मणी पत्नि श्री रामा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

<u>राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970</u>

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब [illegible] सिरोही)
2. अधिवक्ता श्री फिरोज खान पठान अनु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 21.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिला सिरोही के खसरा नं. 12 व 179 रकबा 0.09, 0.15 बीघा किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरौर ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी, परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया। पूर्व में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 12 व 179 रकबा 0.09, 0.15 बीघा किस्म पडत भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं थे। आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 12 व 179 रकबा 0.09, 0.15 बीघा किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। यह है कि पटवारी हल्का क्यारिया से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा क[illegible] किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई [illegible] होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को [illegible] दी जाना विधि संगत नही होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 12 व 179 रकबा 0.09, 0.15 बीघा किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner